हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

सप्तम सत्र

समाचार भाग-1

संख्याः 56

शनिवार, 6 **दिसम्बर**, 2014/15 **अग्रहायण**,1936 (**शक्**)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

<u>समय</u> 11.00 **<u>बजे (पूर्वाह्न)</u>**

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में विधान सभा भवन,तपोवन, धर्मशाला में आरम्भ हुई ।

<u>11.02.16 A.M.</u>

<u>व्यवस्था का प्रश्न</u>:

बैठक प्रारंभ होते ही श्री सुरेश भारद्वाज ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि पिछले कल जम्मू-काश्मीर में आतंकवाद के हमले में जो हमारे देश के 11 जवान तथा अन्य नागरिक शहीद हुए हैं, आज की कार्यवाही आरंभ करने से पहले उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाए । प्रो0 प्रेम कुमार धूमल, नेता प्रतिपक्ष ने भी दृढ़तापूर्वक उनका समर्थन किया तथा श्री कौल सिंह ठाकुर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने सरकार की ओर से सहमति प्रदान की । इस पर मा0 अध्यक्ष महोदय ने अनुमति दी और निम्नलिखित ने शहीदों को श्रद्धांजलि देने हेतु अपने उद्गार व्यक्त किए तथा दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की :-

1. श्री कौल सिंह ठाकुर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री
2. प्रो0 प्रेम कुमार धूमल, नेता प्रतिपक्ष
3. श्री बृज बिहारी लाल बुटेल, माननीय अध्यक्ष

(**दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए सदन में कुछ क्षण खड़े होकर मौन रखा गया**)

11.13.10 A.M.

1. **प्रश्नोत्तर**:

(1) **तारांकित प्रश्न**:

स्थगित तारांकित प्रश्न संख्या 12 26,1238,तारांकित प्रश्न सं01323,1324 एवं 1326 के उत्तरों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मं त्रियों द्वारा उत्तर दिए गए । तारांकित प्रश्न सं0 1325 का उत्तर संबंधित मंत्री द्वारा दिया गया । तारांकित प्रश्न संख्या 13 27 से 13 44 तक के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा सभा पटल पर रखे समझे गए।

(2) **अतारांकित प्रश्न**:

अतारांकित प्रश्न संख्याः 646 का उत्तर सभा पटल पर रखा गया।

12.00.16 P.M.

व्यवस्था का प्रश्न:

प्रश्नकाल समाप्त होते ही श्री सुरेश भारद्वाज ने शिमला के तारादेवी में कटे 477 पेड़ों एवं जाखू नामक स्थान पर जलाए गए 30 पेड़ों के संबंध में नियम-67 के अंतर्गत पिछले कल दिए गए स्थगन प्रस्ताव को पुनः उठाया और यह भी कहा कि वह इसमें चम्बा के जंगलों में हुए अवैध कटान के विषय को भी जोड़ना चाहते हैं । उन्होंने अध्यक्ष महोदय के संज्ञान में लाया कि इस विषय में सर्वोच्च

न्यायालय की जजमैंट की भी उल्लंघना हुई है । अत: इस विषय में माननीय अध्यक्ष महोदय ने जो कल व्यवस्था दी थी कि मामला सरकार को उत्तर हेतु प्रेषित किया गया है, विषय की गंभीरता को देखते हुए सरकार को शीघ्र उत्तर भेजने के निर्देश दिए जाएं । प्रो0 प्रेम कुमार धूमल ने भी अनुसमर्थन किया और अध्यक्ष महोदय को अवगत करवाया कि Apex Court की Judgement की उल्लंघना करके Criminal Intention से जंगलों का अवैध कटान हुआ है । श्री कौल सिंह ठाकुर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने अध्यक्षपीठ से आग्रह किया कि जंगलों के अवैध कटान के विषय पर नियम-130 के अंतर्गत पिछले कल विस्तृत चर्चा हो चुकी है और माननीय मुख्य मंत्री एवं माननीय वन मंत्री के उत्तर से विपक्ष के सभी सदस्य संतुष्ट हुए थे। इस पर श्री रविन्द्र सिंह ने अध्यक्ष महोदय के ध्यान में लाया कि उन्होंने चर्चा के दौरान कल यह प्रार्थना की थी कि उनके पास चम्बा जिला के जंगलों में बेरहमी से किए गए पेड़ों के कटान की जो C.D. है, वह सदन के सभी सदस्यों, मीडिया एवं सभी अधिकारियों को दिखाई जाए ताकि सही स्थिति को देखते हुए इस विषय पर उचित कार्रवाई की जाए।

इस पर मा0 अध्यक्ष महोदय ने यह व्यवस्था दी कि " इस विषय का सरकार ने कड़ा संज्ञान लिया है । इसकी जांच की जा रही है और नियमानुसार कार्यवाही की जानी निश्चित है । जहां तक C.D. दिखाए जाने का संबंध है, माननीय सदस्य, श्री रविन्द्र सिंह C.D. को सभा पटल पर रख दें । मैं उस C.D. को देखने के बाद अगली कार्रवाई करने बारे निर्णय दूंगा । अत: मैं विपक्ष के सदस्यों से चाहूंगा कि वे इस विषय पर सरकार के उत्तर की प्रतीक्षा करें। "

12.10.56 P.M.

2. <u>सभा पटल पर रखे गए कागजात :</u>

(1) श्री मुकेश अग्निहोत्री, उद्योग मन्त्री ने निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी:-

(i) हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अधिनियम, 1966 की धारा 27 (1) के अन्तर्गत सूचना का अधिकार एवं प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2012-13 (विलम्ब के कारणों सहित);

(ii) हिमाचल प्रदेश राज्य वित्तीय निगम (SFCs Act) अधिनियम, 1951 की धारा 37 की उप-धारा (7) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम का 47वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2013-14; और

(iii) हिमाचल प्रदेश राज्य वित्तीय निगम (SFCs Act) अधिनियम, 1951 की धारा 37 की उप-धारा (7) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य वित्तीय निगम की ऑडिट रिपोर्ट वर्ष 2013-14 (31 मार्च, 2014 तक) ।

(2) **श्री प्रकाश चौधरी, आबकारी एवं कराधान मन्त्री ने** निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी-:

(i) हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 63 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (द्वितीय संशोधन) नियम, 2014 जोकि अधिसूचना संख्या:ईoएक्सoएनo-एफ(10)-2/2014 दिनांक 5.8.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 6.8.2014 को प्रकाशित;

(ii) हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 63 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (तृतीय संशोधन) नियम,2014 जोकि अधिसूचना संख्या:ईoएक्सoएनo-एफ(10)-8/2013 दिनांक 20.11.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 21.11.2014 को प्रकाशित;

(iii) हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 63 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (चतुर्थ संशोधन) नियम, 2014 जोकि अधिसूचना संख्या:ईoएक्सoएनo-एफ(10)-16/2014 दिनांक 22.9.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 23.9.2014 को प्रकाशित;

(iv) हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 10 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 से संलग्न अनुसूचि- 'घ' में संशोधन जोकि अधिसूचना संख्या:ईoएक्सoएनo-एफ(10)-25/2014 दिनांक 27.10.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 27.10.2014 को प्रकाशित;

(v) हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2010 की धारा 3 की उपधारा (5) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 20 10 से संलग्न अनुसूचि- 2 में संशोधन जोकि अधिसूचना संख्या:ईoएक्सoएनo-एफ(10)-25/2014 दिनांक 17.10.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 17.10.2014 को प्रकाशित;

(vi) हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2010 की धारा 3 की उपधारा (5) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 20 10 से संलग्न अनुसूचि- 2 में संशोधन जोकि अधिसूचना संख्या:ईoएक्सoएनo-एफ(10)-4/2011 दिनांक 25.2.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 25.2.2014 को प्रकाशित;

(vii) हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 63 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (प्रथम संशोधन) नियम, 2014 जोकि अधिसूचना संख्या:ईoएक्सoएनo-एफ(10)-8/2013 दिनांक 26.2.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 28.2.2014 को प्रकाशित;

(viii) हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2010 की धारा 3 की उपधारा (5) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 20 10 से संलग्न अनुसूचि-1 में संशोधन जोकि अधिसूचना संख्या:ईoएक्सoएनo-एफ(10)-4/2011-पार्ट-I दिनांक 1.4.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 4.4.2014 को प्रकाशित;

(ix) हिमाचल प्रदेश पथ कर अधिनियम, 1975 की धारा 13 की उपधारा (2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पथ कर अधिनियम, 1975 से संलग्न अनुसूची- II में संशोधन

जोकि अधिसूचना संख्या:ईoएक्सoएनo-एफ(1)-1/2014 दिनांक 4.6.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 9.6.2014 को प्रकाशित;

(x) हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 10 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची-क में संशोधन जोकि अधिसूचना संख्या:ईoएक्सoएनo-एफ(10)-8/2013 दिनांक 25.7.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 28.7.2014 को प्रकाशित; और

(xi) हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 10 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची-क में संशोधन जोकि अधिसूचना संख्या:ईoएक्सoएनo-एफ(10)-5/2014 दिनांक 28.7.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 28.7.2014 को प्रकाशित ।

(3) श्री धनी राम शांडिल, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्री ने निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी :-

(i) नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 65(2) के अन्तर्गत विकलांगता पर वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 तथा 2012-2013; और

(ii) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1बी) के अन्तर्गत अनुसूचित हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का अनुसूचित जाति अन्यपिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक मामले का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2012-2013 (विलम्ब के कारणों सहित)।

(4) श्री अनिल कुमार, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 की उपधारा (5) के अन्तर्गत प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), हिमाचल प्रदेश द्वारा 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रति सभा पटल पर रखी।

12.12.05 P.M.

3. सदन की समितियों के प्रतिवेदन :

1. **श्री रविन्द्र सिंह, सभापति, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2014-15) ने** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी :-

(i) समिति का **59वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 23वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग** से सम्बन्धित है;

(ii) समिति का **60वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 49वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **सहकारिता विभाग** से सम्बन्धित है;

(iii) समिति का **61वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 50वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **मत्स्यपालन विभाग** से सम्बन्धित है;

(iv) समिति का **62वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 52वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **मत्स्यपालन विभाग** से सम्बन्धित है; और

(v) समिति का **63वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 57वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **मत्स्यपालन विभाग** से सम्बन्धित है ।

2. **श्री अनिरूद्ध सिंह, सदस्य , लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2014-15) ने** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी :-

(i) समिति का **23वां मूल प्रतिवेदन (वर्ष 2014-15)** जोकि भारत के नियन्त्रण एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2007-08 (वाणिज्यिक) के ऑडिट पैरा संख्या:4 .10 के स्वयंमेव उत्तरों की संवीक्षा पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्** से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति का **24वां मूल प्रतिवेदन (वर्ष 2014-15),** जोकि भारत के नियन्त्रण एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2007-08 (वाणिज्यिक) के ऑडिट पैरा संख्या: 4.11 के स्वयंमेव उत्तरों की संवीक्षा पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्** से सम्बन्धित है ।

3. **श्री खूब राम, सभापति कल्याण समिति, (वर्ष 2014-15) ने** समिति का **12वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) जोकि समिति के 44वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2011-12) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग** से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी ।

सदन की बैठक 12-13-40 **बजे अपराह्न सोमवार दिनांक** 8 **दिसम्बर**,2014 **के** 2.00 **बजे अपराह्न तक स्थगित हुई।**